

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/56/2022

तारीख रजू 03/3/22

अनिल बनाम मिथलेश वर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमावंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में वखूवी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 98, वाके ग्राम सहजपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मौके की यथार्थिती बनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किरसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बावत् कोई उज्र हो तो दिनांक 22.03.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 22.03.2022 को वास्ते तलवी अप्रार्थी पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

22/3/22
आदेश दिनांक 22/3/22
को पेश हो।


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए


21/2/23

~~कॉपी नं. 918~~
~~संकेत आदेश दि. 3.7.22~~
~~की पालना~~
~~दि. 20/4/23~~


 अधिकारी
 (अलवर)

20/4/23

पञ्जाबली प्रभु धर्मा कमील आर्मी के रजवाला
 प्रभु कोसे को पूर्व के कार्य प्रमाण उदात्त
 प्रमाण है रजवाला प्रभु वही किमती काल
 प्रमाण को प्रमाण रजवाला प्रभु वही
 चयने प्रमाण प्रमाण के खर्च प्रमाण
 जाता है पञ्जाबली कमील प्रमाण प्रमाण
 प्रमाण के प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण
 प्रमाण प्रमाण


 उपर्युक्त अधिकारी
 कलमर (अलवर) राज०